रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240738 CG-DL-E-02122022-240738

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5356] No. 5356] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5588(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4121 (अ), तारीख़ 01 सितंबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में NH130CD के कि.मी. 384.800 से कि.मी. 459.830 (विजयनगर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06 सितंबर 2022" को "प्रजाशक्ति" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था :

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

7986 GI/2022 (1)

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में NH130CD के कि.मी. 384.800 से कि.मी. 459.830 (विजयनगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का	नाम: आंध्र प्रदेश	जि	ले का नाम: विज़ि	अनगरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: मेंटाडा						
	गांव का नाम: पेरमलोभा						
1	53/5A	सरकारी	डी-पट्टा	0.024291	गवर्नमेंट डी-पट्टा (53/5A)		
	गांव का नाम: उ	डागिं					
2	35/1A	निजी	आई वेट	0.076923	किलपर्थी अप्पलास्वामी पुत्र सत्यम किलापर्थी नारायणम्मा w/o सूर्यनारायण (35/1A)		
3	36/6	निजी	आर्.वेट	0.044534	कुनिबिली पापम्मा w/o चिन्नय्या (36/6)		
4	40/7	निजी	आर .ड्राई	0.012146	कुनिबिली राममूर्ति पुत्र चिन्नय्या (40/7)		
5	43/11A	निजी	आर्.वेट	0.038462	अल्थी सिंहाचलम पुत्र रामुनैदु गेडेला सूर्यनारायण पुत्र रामुनैदु (43/11A)		
6	43/12	निजी	आर्.वेट	0.0404858	गेडेला सूर्यनारायण पुत्र वीरेसु कोनिसा सीथम्मा w/o सिंहाचलम (43/12)		
	तालुक का नाम: रामभद्रपुरम						
	गांव का नाम: च	न्द्रपुरम					
1	131/2	सरकारी	एस.पोर	0.404858	गवर्नमेंट डी-पट्टा (131/2)		
2	131/2	सरकारी	एस.पोर	0.404858	गवर्नमेंट डी-पट्टा (131/2)		
3	135/7,4,9,12	सरकारी	एस.पोर	1.78137	गवर्नमेंट डी-पट्टा (135/7,9,4,12)		
4	136	सरकारी	एस.पोर	0.404858	सरकारी भूमि (136)		

कुल	3.2327858	

फा. सं. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30 November, 2022

S.O. 5588(E).—In Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, "number S.O. No. 4121 (E) dated 01.09.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH130CD on the stretch of land from Km. 384.800 to Km. 459.830 (Vizianagaram) in the district of VIZIANAGARAM in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Praja Sakti" and "Times of India" both dated 06.09.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH130CD in the stretch of land from Km. 384.800 to Km. 459.830 in the district of VIZIANAGARAM in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: VIZIANAGARA		M		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.		
1	2	3	4	5	6		
	Taluk: Mentada						
	Village: Poramlova						
1	53/5A	Government	D-Patta	0.024291	Govt D-patta 53/5A		
	Village: Uddangi						
2	35/1A	Private	I.Wet	0.076923	Kilaparthi Appalaswamy s/o Sathyam Kilaparthi Narayanamma w/o Suryanarayana		

—	1	1	11	1				
					35/1A			
3	36/6	Private	R.Wet	0.044534	Kunibilli Papamma w/o Chinnayya 36/6			
4	40/7	Private	R.Dry	0.012146	Kunibilli Rammurthi s/o Chinnayya 40/7			
5	43/11A	Private	R.Wet	0.038462	Althi Simhachalam s/o Ramunaidu Gedela Suryanarayana s/o Ramunaidu 43/11A			
6	43/12	Private	R.Wet	0.0404858	Gedela Suryanaryana s/o Viresu Konisa Sithamma w/o Simhachalam 43/12			
	Taluk: Ramabhadrapuram							
	Village: Chan	Village: Chandapuram						
1	131/2	Government	S.Por	0.404858	Govt D-patta 131/2			
2	131/2	Government	S.Por	0.404858	Govt D-patta 131/2			
3	135/7,4,9,12	Government	S.Por	1.78137	Govt D-patta 135/7,9,4,12			
4	136	Government	S.Por	0.404858	Govt.land 136			
			TOTAL	3.2327858				

[F. No. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D2] RAJESH GUPTA, Director